

बिहार सरकार,
श्रम संसाधन विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक-02.02.2017

संख्या-1/श्रम वि०स्था० (1) 10-30/2016 श्र०सं०268...../ श्रीमती रत्ना प्रसाद, सहायक श्रमायुक्त (शोध), पटना को अगले आदेश तक अपने कार्यों के अतिरिक्त उप निबन्धक, श्रमिक संघ, श्रमायुक्त कार्यालय, बिहार का भी अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है।

संख्या-1/श्रम वि०स्था० (1) 10-30/2016 श्र०सं०269...../ श्री शिवनाथ पाण्डेय, श्रम अधीक्षक, वैशाली-2 को अगले आदेश तक अपने कार्यों के अतिरिक्त श्रम अधीक्षक, वैशाली-1, तथा श्रम अधीक्षक, छपरा-1 एवं 2 का भी अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है।

संख्या-1/श्रम वि०स्था० (1) 10-30/2016 श्र०सं० 270...../ श्री कुमार प्रमोद नारायण सिंह, श्रम अधीक्षक, सीवान-01 को अगले आदेश तक अपने कार्यों के अतिरिक्त श्रम अधीक्षक, गोपालगंज का भी अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

कामेश्वर प्रसाद
(कामेश्वर प्रसाद)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-1/श्रम वि०स्था० (1) 10-30/2016 श्र०सं०270...../ पटना, दिनांक-02.02.2017

प्रतिलिपि : अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ / महालेखाकार, बिहार, पटना/अवर सचिव, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार/मा० मंत्री, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/श्रमायुक्त, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी- पटना, वैशाली, छपरा (सारण), गोपालगंज, सीवान/बिहार श्रम सेवा, (सामान्य एवं तकनीकी) संवर्ग के सभी पदाधिकारी/मुख्यालय स्थित सभी पदाधिकारी (प्रशाखा पदाधिकारी सहित)/ आई०टी० मैनेजर, (विभागीय वेवसाईट पर प्रकाशनार्थ) श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

कामेश्वर प्रसाद
(कामेश्वर प्रसाद)
सरकार के उप सचिव।